


12.02.2020

पत्रावली पेश। प्रार्थी एवं प्रार्थी-वकील
अनुपस्थित। प्रार्थना-पत्र का मूल-दावा
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश-9
(नियम-8) के तहत खारिज किया जा
चुका है अतः प्रार्थना-पत्र के चलाये
जाना का कोई औचित्य नहीं है।
इसलिए इसी स्तर पर प्रार्थना-पत्र
को खारिज किया जाता है।
पत्रावली फ़ैसल नुमां होकर नम्बर से
कम की जाकर, दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक माजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सी.बी. (खारखोर)

